an>

Titel: Regarding Shanan Hydro-Electric Project in Mandi, Himachal Pradesh.

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी) : महोदय, मैं आपका ध्यान मण्डी संसदीय क्षेत्र में चल रही शानण जल विद्युत परियोजना की ओर दिलाना चाहता हूं। 3 मार्च, 1925 को ब्रिटिश सरकार व मण्डी के राजा श्री जोगेन्द्र सेन बहादुर के बीच जोगिन्दर नगर में 48 मेगावाट्स जल विद्युत परियोजना बनाने का एग्रीमेन्ट हुआ। वह परियोजना 10 मार्च 1933 को विद्युत उत्पादन करने लगी। वर्ष 1982 में, उसकी क्षमता 66 मेगावाट्स से बढ़ाकर उसकी 110 मेगावाट कर दी गई।

भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि जितने एग्रीमेन्ट ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजा-महाराजाओं के साथ किए हैं, वे रद्द माने जायेंगे लेकिन शानण परियोजना का एग्रीमेन्ट आज तक रद्द नहीं किया गया है। आज भी वह पूर्व की भांति पंजाब बिजली बोर्ड के अधीन 67 वर्षों से बिजली का दोहन कर रही है। हिमाचल प्रदेश को अंग्रेजों के समय में हुए 99 वर्ष के अनुबंध का हवाला देकर कब्जा कर बैठा है। वह वर्ष 2024 को अनुबंध की समयसीमा समाप्त होने का इंतजार कर रहा है।

उस परियोजना से 250 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष शुद्ध लाभ पंजाब सरकार को जाता है लेकिन पंजाब सरकार स्थानीय जनता के हित व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक पैसा भी खर्च नहीं कर रही है। शानण की पहाड़ियां में ट्रालियां चलती थी उन्हें बंद कर दी गई है। सड़क और पुल टूटे हैं, स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं।

81 वर्ष पुरानी शानण जल विद्युत परियोजना के टनलों में दरारें आ चुकी है, पहाड़ी धंस रही है जिसके कारण कभी भी वहां विस्फोट हो सकता है जिससे जोगिन्दर नगर शहर ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारी जान-माल का नुकसान होगा। साथ ही साथ, इस पानी से हिमाचल बिजली बोर्ड द्वारा संचालित 66 मेगावाट बरसी जल विद्युत परियोजना, निर्माणाधीन 100 मेगावाट उहल जल विद्युत परियोजना के विद्युत उत्पादन में भी रुकावट आएगी तथा करोड़ों का आर्थिक नुकसान होगा। भारत सरकार से मेरी प्रार्थना है कि शीघ्र ही जलविद्युत विशेषज्ञों की एक टीम शानण भेजी जाये जो इस परियोजना की जांच करे और ब्रिटिश सरकार के साथ हुए एग्रीमेन्ट को रद्द करने व शानण परियोजना को हिमाचल सरकार को सौंपने की कृपा करें।